स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 27.3.2010

क्रमांक एफ 1–100 / 2008 / 20–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा राष्ट्रपति / राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित सेवारत शिक्षकों के संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.9.2008 जारी किया गया था । इस आदेश के कारण विभाग में कई न्यायालयीन प्रकरण उद्‌भूत हुए तथा विभाग को इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा शासन से मार्गदर्शन चाहा गया । न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यु0 पी0 483 / 09 श्रीमती अर्चना तिवारी विरूद्ध शासन ने दिनांक 4.02.2009 को म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा दिनांक 29.9.2008 को जारी आदेश का पुनः परीक्षण किया गया तथा इस संबंध में स्थिति इस प्रकार है :–

1. विभाग द्वारा आदेश कमांक एफ 1–100 / 2008 / 20–1 दिनांक 29.9.2008 में तीन बिन्दु समाहित है :–

अ/ वर्तमान में धारित वेतनमान के अनुरूप पदनाम प्रदान करना ।

ब/ एक ही संस्था को लाभ मिलने के दृष्टिकोण से स्थानान्तरण से छूट की सुविधा प्रदान की जाना ।

स/ जिला संवर्ग के शिक्षकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण होने पर वरीयता समाप्त न होना ।

2 वर्तमान में धारित वेतनमान के अनुरूप पदनाम प्रदान करने से विभाग के सहायक शिक्षक स्वमेव व्याख्याता के वेतनमान में पहुँच जाते हैं , यदि इन्हें व्याख्याता का पदनाम एवं वरीयता प्रदान की जाती है तो कई शिक्षक अधिकमित हो रहे हैं, एवं शिक्षकों के कई पद विभाग को निर्मित करने होंगे । बिना पद निर्माण के इन्हें पदनाम प्रदान नही किया जा सकता है ।

3. विभाग द्वारा दिनांक 29.09.2008 के आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग से स्थानान्तरण से छूट की कोई स्वीकृति प्राप्त नही की है , तथा स्थानान्तरण से छूट संबंधी निर्देश बिना सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के जारी किया है , जो प्रकियानुसार सही नही है ।

4. वरिष्ठता के संबंध में स्थिति यह है कि स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 के नियम –12 (2) के तहत किया जाता है, सहायक शिक्षक की वरीयता नियमानुसार जिलास्तर पर संधारित होती है । जिला संवर्ग के कर्मचारी होने के कारण इनका स्थानान्तरण अन्य जिलों में नही किया जा सकता । अन्य जिलों में स्थानान्तरण होने पर उनकी वरीयता / वरिष्ठता स्वमेव समाप्त हो जाती है । दिनांक 29.9.2008 के आदेश में अन्तर जिला स्थानान्तरण होने पर उनकी वरीयता / वरिष्ठता प्रभावित न होने के संबंध में दिया गया निर्देश नीतिविरूद्ध है, तथा भर्ती नियमों के प्रावधानो के विपरीत है ।

5. राष्ट्रपति / राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को शाल, श्रीफल निश्चित धनराशि मान स्वरूप दिये जाने के उपरान्त विभाग के आदेश कमांक एफ 34–2 / 2002 / 20–4 दिनांक 24.9.2003 के

तहत दो वेतन वृद्धि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को एवं एक वेतन वृद्धि राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को दिये जाने का प्रावधान है । इस प्रकार इन शिक्षकों को इनकी उल्लेखनीय सेवाओ के अनुरूप अन्य शिक्षकों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान किया जाता है ।

6. अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 29.9.2008 के परिप्रेक्ष्य में कई त्रुटि पूर्ण आदेश जारी कर शिक्षकों को वरीयता प्रदान की गई, जिसके कारण भ्रम की स्थिति एवं न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति निर्मित हो गई है । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन की स्थानान्तरण नीति से हटकर एवं भर्ती नियमों के अनुसार जारी आदेश नही होने के कारण आदेश त्रुटिपूर्ण आदेश की श्रेणी में माने गये हैं।

अतः अंर्तविभागीय परामर्शानुसार , राज्य शासन एतद् द्वारा राष्ट्रपति / राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित सेवारत शिक्षकों के संबंध में जारी विभागीय आदेश कमांक एफ 1–100 / 2008 / 20–1 दिनांक 29.9.2008 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

हस्ता/–

(एस0एन0शर्मा)

उप सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / राशिकप्र / सु0 / 105 / 2010 / 103 भोपाल, दिनांक 20.5.10

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश ।
5. सहायक संचालक, स्थापना–1,2,3,4 / कम्प्यूटर / विद्या

की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन आदेश कमांक एफ 1–100 / 2008 / 20–1 दिनांक 27.3.10 पर तत्काल प्रभाव से उक्तानुसार कियान्वयन सुनिश्चित कर की गई कार्यवाई से 15 दिवस की समय–सीमा में क्रियान्वयनकीजानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ।

संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश